(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2286–एक/2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–6–2001 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 674/1995–96 अपील

जीतरायसिंह पुत्र दयाराम सिंह
ग्राम करकोटा गेरूआ तहसील
सिंहावल जिला सीधी मध्य प्रदेश । ——आवेदक

विरूद्ध

1– शैलेष कुमार पुत्र आशुतोष कुमार मिश्रा
2– आशीष कुमार पुत्र आशुतोष कुमार मिश्रा
3– आशुतोष कुमार मिश्रा पुत्र स्व.शिवशॅकर मिश्रा
तीनों ग्राम गेरूआ तहसील सिंहावल जिला सीधी ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 07-8 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 674/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–6–2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में दिनांक 23–11–2001 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम करकोटा की आराजी क्रमांक 183, 184, 185, 187, 188 कुल किता 5 कुल रकबा 5–00 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) अनावेदकगण के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज है। आवेदक ने तहसीलदार सिहावल के समक्ष आवेदन देकर पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने की मांग की। तहसीलदार सिहावल ने

प्रकरण क्रमांक 11 अ-74/1994-95 पॅजीबद्ध किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 23-3-1995 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दख करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल ने प्रकरण क्रमांक 79 / 93-94 में पारित आदेश दिनांक 19-6-1996 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष दो अपील क्रमशः क्रमांक 674 एंव 687/1995-96 प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने दोनों प्रकरणों में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 28-6-2001 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास/सिहवाल का आदेश दिनांक 19-6-1996 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 28-6-2001 के विरूद्ध यह निगरानी दिनांक 23-11-2001 को प्रस्तुत करते हुये अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया गया है, जिसके क्रम में प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 2-8-2007 से लिये गये निर्णय अनुसार उभय पक्ष को सुना गया है क्योंकि :-

1. लॅगरी बनाम छोटा 1992 रा0नि0 289 में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि जब कोई अपील समयवर्जित हो तब अपील न्यायालय उसे सुनने के लिये सक्षम नहीं है।
2. रामभुवन विरूद्ध रामविशाल 2002 रा0नि0 254 में बताया गया है कि समय बर्जित अपील में परिसीमा का प्रश्न पहले ही सकारण आदेश व्दारा विनिश्चित किया जाना चाहिये, तदुपरांत मामला गुण-दोष परखा जा सकेगा।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत किये गये अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों अनुसार स्थिति यह है कि अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत करने का कारण निम्नानुसार बताया गया है :-

" निवेदन है कि आवेदक की ओर से उनमानी निगरानी आज ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई हे, जिसमें निवेदित तथ्यों के आलोक में आवेदक को अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिस कारण उसे ऐसे आदेश की जानकारी नहीं हो सकी, व सर्वप्रथम दिनांक 11-11-2001 को उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा भूमियों पर बलात आधिपत्य करने व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश होने की जानकारी व धमकी दी गई , तब आवेदक उसी दिन रीवा जाकर प्रकरण का पता लगाया। ''

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 674/1995-96 अपील की कतिपय आर्डरशीट इस प्रकार है :-

दिनांक 18-1-99 - अपीलार्थी अधिवक्ता श्री आर.यू.एस. तिवारी उपस्थित.
रिस्पा.की ओर से श्री राकेशप्रताप सिंह अधिवक्ता उपस्थित मेमो पेश किया।

पेशी 18-1-99 के वाद आगामी तिथि 24-2-99, 21-4-99, 18-6-99, 29-10-99, 9-12-99, 20-1-2000, 23-3-2000, 24-8-2000, 12-5-2000, 24-5-2000, 28-6-2000, 17-7-2000, 28-8-2000, 23-12-2000, 6-1-01, 23-2-01, 24-2-01, 5-3-01 कुल 18 पेशियों पर आवेदक व उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे हैं। तदुपरांत 13-3-2001 को आवेदक के अभिभाषक उपस्थित हुये है एंव व्यवहार प्रकिया आदेश 6 नियम 17 के आवेदन पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई है। पेशी 28-3-2001 को दोनों पक्षों के अंतिम तर्क सुनकर अपर आयुक्त ने प्रकरण आदेश हेतु 2-5-2001 को नियत किया है। दिनांक 2-5-2001 को समयाभाव के कारण तथा 29-5-2001 को पीठासीन अधिकारी के वाह्य होने के कारण आदेश पारित नहीं हुआ एंव दिनांक 11-6-2001 को आदेश पारित किया गया है। जब पेशी 28-3-2001 को आवेदक के अभिभाषक ने अंतिम तर्क किये है एंव उन्हें आदेश की आगामी तिथि 2-5-2001 टीप कराई गई है। आवेदक के अभिभाषक को तद्नुसार जानकारी होना यही माना जावेगा कि यह जानकारी आवेदक को है। आदेश की तिथि 2-5-2001 को अथवा उसके वाद आवेदक ने अथवा उनके अभिभाषक ने न्यायालय में आकर आदेश की जानकारी लेना मुनासिव नहीं समझा, जबकि उनका दायित्व था कि वह समय रहते आदेश की जानकारी लेकर स्वयं् के पक्ष में कार्यवाही करते। जबकि अवधि

विधान की धारा -5 के आवेदन में यह तथ्य बताना कि * आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जिस कारण

उसे ऐसे आदेश की जानकारी नहीं हा सकी, व सर्वप्रथम दिनांक 11-11-2001 को उत्तरवादी/अनावेदक व्दारा भूमियों पर बलात आधिपत्य करने व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश होने की जानकारी व धमकी दी गई, तब आवेदक उसी दिन रीवा जाकर प्रकरण का पता लगाया। * आवेदक व्दारा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिया गया विवरण उक्त कारणों से विश्वास योग्य नहीं है। आवेदक स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है जिसके कारण आदेश दिनांक 28-6-2001 के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर में दिनांक 23-11-2001 को प्रस्तुत निगरानी समयवाह्य है।

1. पी.के.रामचन्द्रन बनाम स्टेट आफ केरल **A.I.R.** 1998 सुप्रिम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण व आधार वर्णित किये गये उनको देखने से यह दर्शित होता था कि विलम्ब का समुचित व पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।
2. स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्व फकीर चंद 1980 (2) म0प्र0वीकली नोट 199 म0प्र0 में बताया गया है कि विलम्ब क्षमा करने की मांग परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत की गई। विलम्ब क्षमा किए जाने के सम्बन्ध में समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता।
3. स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्व सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वी0नोट 193 में बताया गया है कि अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्ष को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कारणों से निगरानी विलम्ब से है जिसके कारण मामले में गुणदोष सुनवाई करना मुनासिब नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समय-वाह्य होने से निरस्त की जाती है। फलस्वरूप अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 674/1995-96 अपील में पारित आदेश दि. 28-6-2001 यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर